रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02122025-268152
CG-MH-E-02122025-268152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947
No. 771] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 28 नवम्बर, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2025

सं. फेमा 6 (आर)/(4)/2025-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-2015) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

i. यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।

ii. यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 8 में संशोधन -

मूल विनियमावली में विनियम 8 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

इन विनियमावली में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति –

1. पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न होने पर, भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में ₹100/- मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग के नोट ₹25,000 की कुल सीमा तक ले जा सकता है;

2. पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न होने पर, नेपाल अथवा भूटान से भारत में भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में ₹100 मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोड़कर) ला सकता है; बशर्ते नेपाल या भूटान से भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग के नोट ₹25,000 की कुल सीमा तक ला सकता है;

3. नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण ऐसे करेंसी नोट भारत से बाहर नेपाल या भूटान ले जा सकता है अथवा नेपाल या भूटान से उन्हें भारत में ला सकता है।

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./507/2025-26]

टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

i) दिनांक 26.02.2019 की अधिसूचना- जी.एस.आर. सं.151(ई)

ii) दिनांक 11.08.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(2)/2020-आरबी (18.08.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)

iii) दिनांक 03.12.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी (04.12.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th November, 2025

Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2025

No. FEMA 6 (R)/(4)/2025-RB.–In exercise of the powers conferred by clause (ga) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA 6 (R)/RB-2015 dated December 29, 2015) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely: —

1. SHORT TITLE & COMMENCEMENT:

i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2025.

ii. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. AMENDMENT TO REGULATION 8:

In the Principal Regulations, for Regulation 8, the following shall be substituted, namely:

Notwithstanding anything contained in these regulations, a person –

1. not being a citizen of Pakistan or Bangladesh, may take or send out of India to Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above ₹100 in either case); provided that an individual travelling from India to Nepal or Bhutan can carry notes of denominations of above ₹100 up to a total limit of ₹25,000;
2. not being a citizen of Pakistan or Bangladesh, may bring into India from Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above ₹100 in either case); provided that an individual travelling to India from Nepal or Bhutan can carry notes of denominations of above ₹100, up to a total limit of ₹25,000;
3. may take out of India to Nepal or Bhutan, or bring into India from Nepal or Bhutan, currency notes being the currency of Nepal or Bhutan.

N SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./507/2025-26]

Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide GSR No.1004(E) dated December 29, 2015 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

i. G.S.R. No. 151(E) dated 26.02.2019
ii. No. FEMA 6 (R)/(2)/2020-RB dated 11.08.2020 (published in the Gazette on 18.08.2020)
iii. No. FEMA 6 (R)/(3)/2020-RB dated 03.12.2020 (published in the Gazette on 04.12.2020)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.02 16:03:46 +05'30'